

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
के.सू. ल. अ. स., कारनाल

24/7/2008 का 21453

70

24/7/08  
लिखित उत्तर

विषय: सूचना अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि अन्तर संस्थान, अन्तर जोन विभागीय

खेलों में खिलाड़ियों के चयन आदि के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं

1. चयन में द्वेषभावना बरतने, प्रतिभागी के छोटे या बड़े पद पर होने को क्या महत्व दिया जाता है इस बारे में किसी प्रतिभागी की चयन को लेकर द्वेषभावना आदि की शिकायत किस अधिकारी को संस्थान एवं उपरान्त परिषद में करनी होती है और इस शिकायत पत्र पर कार्यवाही कैसे होती है शिकायत कृती की सुनवाई कैसे और कितनी अवधि में होती है भूरे शिकायत पत्रों पर सुनवाई क्यों नहीं हुई है।
2. सुनवाई में शिकायत सही पाये जाने पर कौसी कार्यवाही होती है भूरे सुनवाई काल, कहां होगी
3. चयन में प्रतिभागी द्वारा वर्ष में ली गई छुट्टियों का उसकी खेलने की योग्यता से क्या सम्बन्ध है चयन में छुट्टियों की संख्या, किस्म के महत्व पर स्टेट्स रिपोर्ट प्रदान कर कितनी छुट्टियों पर चयन में अयोग्य करार देते हैं।
4. चयन में छुट्टियों का महत्व देने का चलन परिषद में किस आदेश के तहत शुरू हुआ, किस वर्ष से हुआ आदेश की प्रतिलिपी प्रदान करें
5. वर्ष 2008 में भूरे चयन में छुट्टियों को महत्व क्यों दिया गया
6. वर्ष 2008 में परिषद के सभी संस्थानों से चुने गये खिलाड़ियों की वर्ष 2008 की छुट्टियों का रिकार्ड बताइए छुट्टियों की किस्म एवं अवधि अवश्य दें।
7. वर्ष 2008 में परिषद के सभी संस्थानों के उन प्रतिभागियों की सूची दें जिन्हें वर्ष में छुट्टियां अधिक लेने के कारण अयोग्य करार दिया गया
8. चयन में निजी तौर पर अभ्यास का प्रमाण पत्र देना परिषद के किस आदेश के तहत शुरू हुआ, वर्ष बताइए एवं आदेश की प्रतिलिपी प्रदान करें
9. चयन में निजी तौर पर अभ्यास का प्रमाण कैसा होना चाहिए, कितनी अवधि का होना चाहिए, किस संस्था का होना चाहिए कितने समय का अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए किस स्तर के खिलाड़ियों के साथ होना चाहिए कृपया इस पर सम्पूर्ण स्टेट्स रिपोर्ट दें।
10. व्यक्तिगत खेल (जैसे शतरंज), क्लब खेल (जैसे फुटबाल) के विषय में क्रमांक 9 के अनुसार ही स्टेट्स रिपोर्ट दें।

Project 11/70  
 Dated - 24/11/09

11. वर्ष 2009 में परिषद में सभी संस्थानों में चयन में प्रतिभागी द्वारा दिये गये सभी प्रमाण पत्रों ( निजी तौर अन्वयास में रहने का प्रमाण ) की प्रतिलिपी प्रदान करें
12. वर्ष 2009 में परिषद के सभी संस्थानों के उन प्रतिभागियों की सूची, पद सहित, प्रदान करें जिन्हें निजी तौर पर अन्वयास में रहने का प्रमाण पत्र न देने के कारण अयोग्य करार दिया
13. कुछियाँ एवं अन्वयास के अलावा वही सभी मापदण्ड बताएँ जिसकी वजह से प्रतिभागी को चयन में अयोग्य करार दिया जाता है
14. महिला प्रतिभागियों के चयन में कुछियाँ एवं अन्वयास में रहने का निजी तौर पर प्रमाण देने की आवश्यकता एवं महत्व पर सभी आवश्यक बिन्दुओं सहित स्टेटस रिपोर्ट दें
15. चयन में प्रतिभागी की सेडीकल फिटनेस का क्या महत्व है मंजर अपैरेशन, डिलीवरी आदि चयन के आसपास होने पर "योग्य या अयोग्य" पर स्टेटस रिपोर्ट प्रदान करें
16. भेरे संज्ञान अनुसार चयन में कुछियाँ एवं अन्वयास का प्रमाण निजी तौर पर देने का कोई नियम एवं प्रचलन परिषद के किसी संस्थान में नहीं अपनाया गया है फिर केवल केंनिंग केन्द्र पर यह मापदण्ड क्यों? स्टेटस रिपोर्ट दें
17. केंनिंग केन्द्र पर शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन फुटबाल के अन्वयास के निजी तौर पर प्रमाण कैसे होने चाहिए कृपया सम्पूर्ण स्टेटस रिपोर्ट दें।
18. वर्ष 2007, वर्ष 2008 में संस्थान एवं इसके केंद्रों से ( केनिंग, मरूच, लखनऊ, हिसार, अन्य ) चयन में दिये गये अन्वयास के निजी तौर पर, प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपी दें। इन्ही वर्षों की वह सूची दें ( प्रतिभागियों की ) जिन्हें अन्वयास में निजी तौर पर, प्रमाण न देने के कारण अयोग्य करार दिया
19. श्री चैम सिंह, श्री भागी राम (प्र. सहायक) एवं श्री स्वर्गीय मानपाल सिंह की कुछियों का रिकार्ड दें उन वर्षों का जब-जब उनका चयन हुआ सभी सुनकार प्रमाणित सही पूर्ण देने के अनुरोध है धन्यवाद प्रार्थी

सलत  
 1. पोस्टल ऑर्डर 10/- राशि  
 2. राशि काट व्यय

नरेन्द्र सिंह (अहलावत)  
 पता- 1, बी-13, के.भू. ल. अ. स., करनाल (हरियाणा)  
 2. के.भू. ल. अ. स., केंनिंग, 24 परगना (ल.)  
 पं. बंगाल

20/8-2009/RTI/ISS



**INDIAN INSTITUTE of SOIL SCIENCE**

**Division of Soil Physics**

**Nabibagh, Berasia Road,  
Bhopal 462 038, M.P., India**

**Phone : 0755-2730970 Ext. 108, Fax: 0755-2733310**

**Dr. Blaise Desouza ARS  
Principal Scientist & PIO**

**By Speed Post  
Top- Priority RTI Matter**

Dated Sept. 29, 2009  
RTI/PIO/SPD/ISS/02/

To  
Sh. N. S. Ahlawat  
B-13,  
C. S. S. R. I., Zarifa Farm,  
Kachhwa Road, Karnal - 132001  
Haryana

Sir:

This is in respect to the information sought under RTI (Ref. Letter No. PIO/RTI/2009/749 dt. 11-8-2009). Kindly find the response furnished by the Office of IISS, Bhopal.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Blaise Desouza) *Blaise Desouza*

Enclosed:

Reply to your queries provided by Administrative Officer

Copy to:

1. Dr. P.C. Sharma (PIO), C. S. S. R. I., Zarifa Farm, Kachhwa Road, Karnal - 132001 Haryana
2. Sh. NS Ahlawat, C. S. S. R. I. Reg. Stn., Canning, 24 Parganas, W. Bengal
3. A.O., I. I. S. S., Bhopal

*nc 23/9*



भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (भा० कृ० अनु० प०)  
नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462 038 (M.P.)

Tel. No.(0755)2730970/2734221 (Ext. No. 252 & 256) Fax. No. (0755) 2733310

F.No. 12-79/2007/स्थापना/

दिनांक : 26.09.2009

विषय : श्री नरेन्द्र सिंह अहलावत, करनाल (हरियाणा) द्वारा आर.टी.आई. के तहत चाही गई जानकारी ।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार क. संख्या 06,07,011 एवं 12 जो कि डॉ पी.सी. शर्मा, पी.आई.ओ., सी.एस. एस.आई. के द्वारा अग्रेषित की गई थी, कि जानकारी कमवार जवाब निम्नानुसार है ।

क्रमांक	विवरण	जवाब
06	वर्ष 2008 में परिषद के सभी संस्थानों से चुने गये खिलाड़ियों की वर्ष 2008 की छुट्टियों का रिकार्ड बताए छुट्टियों की किस्म एवं अवधि अवश्य दे।	इस तरह का रिकार्ड संस्थान के खेल उन्नति समिति द्वारा रख रखाव नहीं किया जाता ।
07	वर्ष 2008 में परिषद के सभी संस्थानों के उन प्रतिभागियों की सूची दे जिन्हें वर्ष में छुट्टिया अधिक लेने के कारण अयोग्य करार दिया गया।	इस तरह का कोई भी प्रकरण जो कि अधिक छुट्टियां लेने के कारण अयोग्य करार दिया गया है, संस्थान में नहीं है ।
11	वर्ष 2009 में परिषद में सभी संस्थानों में चयन में प्रतिभागी द्वारा दिये गये सभी प्रमाणपत्रों (निजी तौर पर अभ्यास में रहने का प्रमाण) की प्रतिलिपी प्रदान करें ।	इस तरह का कोई भी प्रमाण पत्र प्रतिभागियों से इस संस्थान की चयन खेल प्रक्रिया में नहीं लिया जाता है।
12	वर्ष 2009 में परिषद के सभी संस्थानों के उन प्रतिभागियों की सूची पद सहित प्रदान करें जिन्हें निजी तौर पर अभ्यास में रहने का प्रमाण पत्र न देने के कारण अयोग्य करार दिया।	इस प्रकार की कोई भी प्रकरण इस संस्थान में घटित नहीं हुआ है।